



अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ४ मालमत्ता क्र: ९५७ भाग क्र: १
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: मास्ती निजप्पा महार

जुना वार्ड क्र: १ जुना मालमत्ता क्र: १७३०
संगणक क्र.: १३००००९०

भाडेकरूचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

मालमत्तेचे वर्णन: निवासी

बिल क्र: AKKA99364

भोगवटदाराचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

पत्ता: भीम नगर, अक्कलकोट

दुकान / इमारतीचे नाव: /

| कराचे विवरण | संकलित कर रु. | झाड कर रु. | म.शिक्षण कर रु. | नौकरी/ शाश्वती कर | अग्निशमन कर रु. | जल निस्सारण कर रु. | वि.स्वच्छता कर रु. | वि शिक्षण कर | वापरकर्ता शुल्क रु. | थकीत वॉरंट फी | अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती | मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती | एकूण कर रु. |
|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| थकीत मागणी रु | ५२१६ | २३३ | १४०२ | | ११९ | ४६७ | | ५३८ | ४८० | २ | ९०३३ | ५४७० | २२९६० |
| चालु मागणी रु | ६५४ | २८ | १५८ | | १३ | ५७ | | ६५ | ४८० | | | | १४५५ |
| एकूण कर रु | ५८७० | २६१ | १५६० | | १३२ | ५२४ | | ६०३ | ९६० | २ | ९०३३ | ५४७० | २४४१५ |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती वेगळ्याची नाही



अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: ४ मालमत्ता क्र: ९५७ भाग क्र: १
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: मास्ती निजप्पा महार

जुना वार्ड क्र: १ जुना मालमत्ता क्र: १७३०
संगणक क्र.: १३००००९०

भाडेकरूचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

मालमत्तेचे वर्णन: निवासी

बिल क्र: AKKA99364

भोगवटदाराचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

पत्ता: भीम नगर, अक्कलकोट

दुकान / इमारतीचे नाव: /

सन २०२३-२४ करीता मागणी

| कराचे विवरण | थकीत मागणी रु | चालु मागणी रु | एकूण मागणी रु | वसुली पुस्तक क्र. पावती क्र. दिनांक: | एकूण शिल्लक मागणी रु |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| १) मालमत्ता कर रु | ५२१६ | ६५४ | ५८७० | | ५८७० |
| २) झाड कर रु | २३३ | २८ | २६१ | | २६१ |
| ३) म.शिक्षण कर रु | १४०२ | १५८ | १५६० | | १५६० |
| ४) नौकरी/ शाश्वती कर रु | | | | | |
| ५) अग्निशमन कर रु | ११९ | १३ | १३२ | | १३२ |
| ६) जल निस्सारण कर रु. | ४६७ | ५७ | ५२४ | | ५२४ |
| ७) वि. स्वच्छता कर रु | | | | | |
| ८) वि शिक्षण कर | ५३८ | ६५ | ६०३ | | ६०३ |
| ९) वापरकर्ता शुल्क रु. | ४८० | ४८० | ९६० | | ९६० |
| १०) थकीत वॉरंट फी. | २ | | २ | | २ |
| ११) अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती रु | ९०३३ | | ९०३३ | | ९०३३ |
| मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती रु | ५४७० | | ५४७० | | ५४७० |
| अग्रिम रक्कम रु | | | | | |
| एकूण कर रु | २२९६० | १४५५ | २४४१५ | | २४४१५ |

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो.
२) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० (३) अन्वये बिल दिल्यापासून १५ संकलित करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३) मागील कर आकारणीनुसार थकबाकी शिल्लक असल्यास पुढील विलास लागू येईल. ४) महाराष्ट्र नगर परिषदा, अधिनियम १९६५ मधील (राजपत्र दि.२७/०४/२०१० असाधारण भाग ४)मधील सुधारीत कलम १५०अ (१) अन्वये मागणी बिलातील थकीत रकमेचा पुर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीवर डिसेंबर महिन्यानंतर २ % प्रतिमाह प्रमाणे शास्ती आकारण्यांत येईल. ५) नाही तर अशी रक्कम व तो वसुली करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहीने वॉरंट (अधिपत्र) करून व ती जाहिर लिलावाद्वारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६) जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत मा. मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७) सदर बिल बजावल्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळाली अथवा बांधकाम कायदेशीर आहे किंवा मालकीची आहे असे समजण्यात येत नसे. ८) ३१/१०/२०२३ पर्यंत चे वसुली नोंदीस आधिन राहून लागू करण्यात येत आहेत. त्यानुसार त्यानंतर कराची रक्कम अदा केली असल्यास, जाईल.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण | नोव्हें-२३ | डिसे-२३ | जाने-२४ | फेब्र-२४ | मार्च-२४ |
|---------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| थकीत देय रक्कम J | २२९६० | २३३१० | २३६६० | २४००९ | २४३५९ |
| प्रथम अर्धवार्षिक मागणी J | ७२८ | ७२८ | १४८५ | १५१३ | १५४३ |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी J | ७२७ | ७२७ | | | |
| एकूण देय रक्कम J | २४४१५ | २४७६५ | २५१४५ | २५५२२ | २५९०२ |

कर संग्राहक

कर अधिक्षक

मुख्याधिकारी

अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट

अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट

अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट

१) जोला, सुका, घातक कचरा विलगीकरण करून घनकचरा नियम २०१६ नुसार निव्वेदात सावण्याची प्राथमिक जबाबदारी मालमत्ता धारकाची आहे. घंटागाडीसाठी प्रत्येक मालमत्ता धारकाला स्वातंत्र्यरित्या शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार उपभोक्ता शुल्क बंधनकारक आहे.
२) शहर प्लॅस्टिक मुक्त करण्यासाठी शासन धोरण/ न.प ठराव नियमानुसार शास्ती टाळण्यासाठी निरवस्थित प्लॅस्टिक चा वापर टाळावा.



कर भरा कटुता टाळा